प्रेस नोट

दिनांक 29.10.2026

थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ।

***तीन नफर अन्तर्जपदीय गांजा तस्कर गिरफ्तार कब्जे से दो अदद ट्राली बैग व एक अदद पिट्ठू बैग में रखे हुए 30 किग्रा0 नाजायज गांजा (कीमत लगभग 4 लाख 50 हजार रूपये) बरामद*–**

अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन महोदय के द्वारा चलाये गये विशेष चेकिंग अभियान आदेश के क्रम में पुलिस उपमहानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़ के सघन पर्यवेक्षण में **पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सर्वेश कुमार मिश्रा** के निर्देशन अपराध/अपरधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में **अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार** व **क्षेत्राधिकारी नगर श्री नितेश प्रताप सिंह** के कुशल नेतृत्व में स्वाट/एसओजी व थाना दक्षिण टोला पुलिस द्वारा आज दिनांक 29.10.2026 को प्रातः 04.35 बजे हाइवे पर चेकिंग की जा रही थी चेकिंग करते हुए मतलूपुर थाना क्षेत्र दक्षिण टोला कट के पास मेन हाइवे पर तीन संदिग्ध व्यक्ति दो ट्राली बैग एक पिट्ठू बैग के साथ संदिग्ध अवस्था में मिले।

पूछताछ की गयी तो अपना नाम 1.सतीश यादव पुत्र बृजेश यादव निवासी चौरी सतहवां पूर्वी थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर 2. साहिल दूबे पुत्र राकेश दूबे सा0 खानपुर छोटा टोला थाना पुरैना जनपद महराजगंज 3.नीरज सोनकर पुत्र रमेश सोनकर सा0 मदरहां थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर बताया गया तथा पास में रखे गये ट्राली बैग में रखे गये सामानो के बारे में कड़ाई से पूछताछ की गयी तो बताया गया कि इसमें नाजायज गांजा है, हम लोग बलनगीर जंक्शन उड़ीसा से अवैध गांजा लेकर गोरखपुर जा रहे है। ट्राली बैग व पिट्ठू बैग में नाजायज गांजा होने की जानकारी मिलने पर क्षेत्राधिकारी नगर महोदय को काल करके मौके पर बुलाया गया उनकी उपस्थिती में ट्राली बैग व पिट्ठू बैग को खोल कर चेक किया गया तो प्रत्येक ट्राली बैग व पिट्ठू बैग में कुल 15 बण्डल पैकिंग किया हुआ नाजायज गांजा वजन करीब 30 किग्रा0 बरामद किया गया तथा समय 04.35 बजे नियमानुसार गिरफ्तारी व बरामद माल को कब्जा पुलिस में लिया गया।

गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 152/2026 धारा 8/20 NDPS ACT बनाम 1.सतीश यादव पुत्र बृजेश यादव निवासी चौरी सतहवां पूर्वी थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर 2. साहिल दूबे पुत्र राकेश दूबे सा0 खानपुर छोटा टोला थाना पुरैना जनपद महराजगंज 3.नीरज सोनकर पुत्र रमेश सोनकर सा0 मदरहां थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर पंजीकृत करते हुए चालान मा0 न्यायालय किया गया।

विवरण पूछताछ - पकडे गये व्यक्ति सतीश यादव बता रहा है कि मुझे तथा साहिल व नीरज को पैसे की जरूरत थी हम लोग इससे पहले भी उड़ीसा जाकर गांजा लाकर गोरखपुर में इधर उधर बेच चुके थे, उसी लालच में हम तीनो लोग उड़ीसा में जाकर बलनगीर जक्शन पर एक अज्ञात व्यक्ति से गांजा प्राप्त किया गया तथा वहां से भभुआ रेलवे स्टेशन आये तथा वहां से वाया बस टेंगरा मोड़ वाराणसी आये तथा वहां से आटो पकड़कर वाराणसी बस डिपो आये फिर वहां से गोरखपुर जाने के लिए बस पकड़ कर गोरखपुर जा रहे थे कि पकड़े जाने की डर से बस बदलने के लिए मतलूपुर के पास बस से उतर गये तथा मतलूपुर में ही हैदराबाद से आने वाली बस जो गोरखपुर जाती है, जिसकी चेकिंग नही होती है, उसको पकड़ने के लिए बस का इन्तजार कर रहे थे। पकड़े गये व्यक्तियो से गांजे के स्रोत के सम्बन्ध में पूछा गया तो बताये की जनपद बलनगीर उड़ीसा में हम लोग किसी भी व्यक्ति से पैसा देकर खरीद लेते है

तथा गोरखपुर में लाकर जो भी व्यक्ति गांजे की सबसे अच्छी कीमत देता है, करीब 10000 रू0 प्रति किलोग्राम के हिसाब से हम लोग अपने अपने घर पर रखकर उसे बेच देते है। बलनगीर उड़ीसा में हम लोगो को यह गांजा 7000 रू0 प्रति किलोग्राम के हिसाब से मिलता है,बलनगीर में गांजा देने वाला व्यक्ति हम लोगो को नाम पता नही बताता है। बलनगीर में कई लोग गांजा बेचते है किसी से भी हम लोग रेलवे स्टेशन के पास ही प्राप्त कर गोरखपुर लाकर अपने अपने घरो से गांजा की बिक्री करते है। हम लोगो का यही मुख्य आय का जरिया है।

पंजीकृत अभियोग का विवरण

मु0अ0सं0 152/2026 धारा 8/20 NDPS ACT थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता-

1.सतीश यादव पुत्र बृजेश यादव निवासी चौरी सतहवां पूर्वी थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर
2. साहिल दूबे पुत्र राकेश दूबे सा0 खानपुर छोटा टोला थाना पुरैना जनपद महराजगंज
3.नीरज सोनकर पुत्र रमेश सोनकर सा0 मदरहां थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर

बरामदगी का विवरण-

1. कुल 30 किग्रा0 नाजायाज गांजा (कीतम लगभग 4 लाख 50 हजार रूपये)
2. तीन अदद मोबाइल फोन
3.नगद 2610 रू0

गिरफ्तार का दिनाकं व समय-

दिनांक 29.10.2026, समय- 4:30 बजे
स्थान,- मतलूपुर थाना क्षेत्र दक्षिण टोला कट के पास मेन हाइवे पर

आगामी त्योहारों के मद्देनजर बिना लाइसेंस 01 बड़े कार्टून में अवैध पटाखों का भंडारण कर बेचने वाले, 01 नफर अभियुक्त को पटाखों के साथ किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सर्वेश कुमार मिश्रा के निर्देशन अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी घोसी श्री सत्येन्द्र भूषण तिवारी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 29.10.2026 को मुखबिर की खास सूचना पर थाना दोहरीघाट पुलिस टीम द्वारा गोठा बाजार क्षेत्र से अभियुक्त अजीत मद्देशिया पुत्र स्व. सतीश मद्देशिया निवासी गोठा, थाना दोहरीघाट, जनपद मऊ उम्र करीब 23 वर्ष को गिरफ्तार किया गया, अभियुक्त के कब्जे से एक बड़े गत्ते के कार्टून में भिन्न-भिन्न प्रकार के अवैध पटाखे (फुलझड़ी, रॉकेट, चकरी, पन्टा प्लस बम और मिक्स पटाखे- अनुमानित कीमत -20 हजार रूपये) बरामद किए गए। रिहायशी इलाके में भारी मात्रा में अवैध पटाखों का भंडारण कर उपेक्षापूर्ण आचरण करने के कारण जनहानि की

प्रबल संभावना थी । उक्त के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 247/2026 धारा 288 बीएनएस व 5/9(ख) विस्फोटक अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग का विवरण

मु0अ0सं0 247/2026 धारा 288 बीएनएस व 5/9(ख) विस्फोटक अधिनियम।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

अजीत मद्धेसिया पुत्र स्व. सतीश मद्देशिया, निवासी- गोठा, थाना दोहरीघाट, जनपद मऊ।

गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान

दिनांक- 29.10.2026

स्थान – गोठा बाजार दोहरीघाट

बरामदगी का विवरण

भिन्न-भिन्न प्रकार के अवैध पटाखे (फुलझड़ी, स्टार शॉट रॉकेट, पन्टा प्लस बम, रॉकेट, चकरी एवं मिक्स पटाखे) **(अनुमानित कीमत 20 हजार रूपये)।**

अवैध पटाखों का भंडारण कर बेचने वाला 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 18 बड़े गत्ते में 768 किग्रा अवैध पटाखा (कीमत लगभग -10,78,000/- रूपया) बरामद

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सर्वेश कुमार मिश्रा के निर्देशन अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी नगर श्री नितेश प्रताप सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 29.10.2026 को मुखबिर की खास सूचना पर थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा मुसरदह मोड़ के पास एक मकान से अवैध रूप से भंडारित किये गये 18 बड़े गत्तों में तेज आवाज वाले बम व पटाखे वजनी करीब 768 किलो ग्राम बरामद किए गए हैं व सम्बन्धित अभियुक्त दीपक कुमार पुत्र श्री सुरेन्द्र प्रसाद निवासी ग्राम मुसरदह थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ उम्र 22 वर्ष को गिरफ्तार किया गया है । बरामद अवैध पटाखों की अनुमानित कीमत ₹10,78,000/- (दस लाख अठहत्तर हजार रुपये) है। उक्त के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 301/2026 धारा 288 बीएनएस व 5/9 बी विस्फोटक अधिनियम थाना कोतवाली नगर, मऊ का अभियोग पंजीकृत किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग का विवरण

मु0अ0सं0 301/2026 धारा 288 बीएनएस व 5/9 बी विस्फोटक अधिनियम थाना कोतवाली नगर, मऊ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

दीपक कुमार पुत्र श्री सुरेन्द्र प्रसाद निवासी ग्राम मुसरदह थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ।

गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान

दिनांक- 29.10.2026

स्थान – मुसरदह मोड़ के पास

बरामदगी का विवरण

18 बड़े गत्तों में तेज आवाज वाले बम व पटाखे वजनी करीब 768 किग्रा

(अनुमानित कीमत ₹10,78,000/- (दस लाख अठहत्तर हजार रुपये)।

पाक्सो एक्ट के मामले में वांछित एक नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सर्वेश कुमार मिश्रा के निर्देशन अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी नगर श्री नितेश प्रताप सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा दिनांक 29.10.2026 को छोटी रहजनिया के पास से मु0अ0सं0 300/2026 धारा 87,137(2),64(2)M बीएनएस व 5(L)/6 पाक्सो एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त सुबहान पुत्र अनवार हाशमी निवासी ग्राम छोटी रहजनिया थाना कोतवाली नगर, जनपद मऊ को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग का विवरण

मु0अ0सं0 300/2026 धारा 87, 137(2), 64(2)M बीएनएस व 5(L)/6 पाक्सो एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

सुबहान पुत्र अनवार हाशमी निवासी ग्राम छोटी रहजनिया थाना कोतवाली नगर, जनपद मऊ।

गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान

दिनांक- 29.10.2026

स्थान – छोटी रहजनिया, कोतवाली नगर।

एक अदद अवैध चाकू के साथ एक नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सर्वेश कुमार मिश्रा के निर्देशन अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी मधुबन श्री दिनेश दत्त मिश्र के कुशल नेतृत्व में थाना मधुबन पुलिस टीम द्वारा दिनांक 29.10.2026 को चेकिंग के दौरान नन्दौर बाजार नहर पुलिया के पास से एक अदद अवैध चाकू के साथ अभियुक्त पियुष उर्फ प्रेमचन्द्र पुत्र देवेन्द्र निवासी ग्राम चक्काबोझ थाना मधुबन, जनपद मऊ उम्र 22 वर्ष को गिरफ्तार किया गया है। एक अदद अवैध चाकू बरामदगी व गिरफ्तारी के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 410/2026 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना मधुबन जनपद मऊ पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग का विवरण

मु0अ0सं0- 410/2026 धारा- 4/25 आर्म्स एक्ट थाना मधुबन जनपद मऊ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

पियुष उर्फ प्रेमचन्द्र पुत्र देवेन्द्र निवासी ग्राम चक्काबोझ थाना मधुबन, जनपद मऊ।

गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान

दिनांक- 29.10.2026

स्थान – नन्दौर बाजार नहर पुलिया के पास।

बरामदगी का विवरण

एक अदद नाजायज चाकू।

जनपद मऊ पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही, 03 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सर्वेश कुमार मिश्रा के निर्देशन में दिनांक- 29.10.2026 को जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में विभिन्न थानो द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए अलग- अलग स्थानों से अभियुक्तों की गिरफ्तारी /बरामदगी व विभिन्न मामलों में वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई।

थानावार कार्यवाही का विवरण-

1.थाना चिरैयाकोट पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त विजय लाल पुत्र दुधनाथ निवासी मोलनापुर थाना जहानागंज आजमगढ, हाल पता गागनपुर थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ।

2.थाना रानीपुर पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त शिवकुमार उर्फ अकलू निवासी ग्राम क्यार की मठिया थाना रानीपुर जनपद मऊ।

3.थाना मुहम्मदाबाद गोहना पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त मु0 जुल्फेकार पुत्र मु0 शाबीर निवासी ग्राम खैराबाद थाना मुहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ।

अभियुक्तगण उपरोक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत 01 अभियुक्तों को 07 माह का कारावास की सजा व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से कराया गया दण्डित

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत जिलाधिकारी मऊ व पुलिस अधीक्षक मऊ के पर्यवेक्षण में अभियोजन विभाग की समन्वित प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक- 29.10.2026 को चिन्हित मु0अ0सं0- 531/2015 धारा- 8/22 एनडीपीएस एक्ट थाना सरायलखंसी जनपद मऊ से सम्बन्धित दोषी अभियुक्त प्रमोद यादव पुत्र स्व0 रामबचन यादव निवासी ग्राम डोडापुर थाना सरायलखंसी जनपद मऊ को मा0 न्यायालय SPL(J), SC/ST ACT कोर्ट, मऊ द्वारा 07 माह का कारावास की सजा व 10,000/- रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थ दंड अदा न करने पर 15 दिवस के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया जायेगा।

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत 05 अभियुक्तों को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास की सजा व 40-40 हजार रुपये के अर्थदण्ड से कराया गया दण्डित

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत जिलाधिकारी मऊ व पुलिस अधीक्षक मऊ के पर्यवेक्षण में अभियोजन विभाग की समन्वित प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक-29.10.2026 को चिन्हित मु0अ0सं0 950/2014 धारा 498A ,304B, 201 भादवि0 व 3/4 DP एक्ट, वैकल्पिक धारा 302 भादवि0 थाना रानीपुर जनपद मऊ से सम्बन्धित दोषी अभियुक्तगण क्रमशः 1.किशन उर्फ कृष्ण गुप्ता पुत्र लुटावन गुप्ता 2.लुटावन गुप्ता पुत्र स्वर्गीय कतवारू गुप्ता 3.मनीषा उर्फ मंशा देवी पत्नी लुटावन गुप्ता 4.सुनीता पुत्री लुटावन गुप्ता 5.कपूर गुप्ता पुत्र लुटावन गुप्ता समस्त निवासीगण ग्राम खिरिया थाना रानीपुर जनपद मऊ को मा0 न्यायालय एएसजे/ एफटीसी-1 कोर्ट, जनपद मऊ द्वारा 10-10 वर्ष का कठोर कारावास की सजा व 40-40 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थ दंड अदा न करने पर 06 माह के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया जायेगा।

अवैध पटाखों का भंडारण कर बेचने वाले, 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 02 प्लास्टिक की बोरी में अवैध पटाखा बरामद

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सर्वेश कुमार मिश्रा के निर्देशन अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी घोसी श्री सत्येन्द्र भूषण तिवारी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 29.10.2026 को मुखबिर की खास सूचना पर थाना दोहरीघाट पुलिस टीम द्वारा गोठा बाजार क्षेत्र से अभियुक्त सुरेन्द्र बर्नवाल पुत्र कान्ता प्रसाद निवासी ग्राम शाहपुर थाना दोहरीघाट मऊ, उम्र करीब 50 वर्ष को गिरफ्तार किया गया, अभियुक्त के कब्जे से 02 प्लास्टिक की बोरी में अवैध पटाखे (फुलझड़ी, रॉकेट, चकरी, पन्टा प्लस बम और मिक्स पटाखे - अनुमानित कीमत -35 हजार रूपये) बरामद किए गए। रिहायशी इलाके में भारी मात्रा में अवैध पटाखों का भंडारण कर उपेक्षापूर्ण आचरण करने के कारण जनहानि की प्रबल संभावना थी। उक्त के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 249/2026 धारा 288 बीएनएस व 5/9(ख) विस्फोटक अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग का विवरण

मु0अ0सं0 249/2026 धारा 288 बीएनएस व 5/9(ख) विस्फोटक अधिनियम।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

सुरेन्द्र बर्नवाल पुत्र कान्ता प्रसाद निवासी ग्राम शाहपुर थाना दोहरीघाट मऊ, उम्र करीब 50 वर्ष।

गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान

दिनांक- 29.10.2026

स्थान – गोठा बाजार दोहरीघाट

बरामदगी का विवरण

भिन्न-भिन्न प्रकार के अवैध पटाखे (फुलझड़ी, रॉकेट, चकरी, पन्टा प्लस बम एवं मिक्स पटाखे)

(अनुमानित कीमत 35 हजार रूपये)।